

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिहं मार्ग
18, Institutional Area Shaheed Jeet Singh Marg,
नई दिल्ली/New Delhi-110016

दूरभाष/Tele: 26858570

Dated: 31.08.2019

वेब/Website: www.kvsangathan.nic.in

F.No.11046/Annual Transfer 2019/KVS(HQ)/Estt.II

CLOSURE OF THE ANNUAL TRANSFER PROCESS 2019

It is to bring to the notice of all concerned that Kendriya Vidyalaya Sangathan has completed and closed annual transfer process 2019 on 31.08.2019. Henceforth, no further representation/request for transfer/modification of transfer order or cancellation of transfer etc. shall be entertained by the KVS. All representations submitted by the employees for transfer/modification of transfer/cancellation of transfer order etc. stand disposed of.

All controlling officers are hereby informed to ensure the relieving and joining of the transferred employees strictly by **05.09.2019** or by the date where it has been mentioned specifically.

This issues with the approval of the Competent Authority.

(S.S. Chauhan)

Assistant Commissioner (Estt.-II&III)



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)

Kendriya Vidyalaya Sangathan
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिहं मार्ग
18, Institutional Area Shaheed Jeet Singh Marg,
नई दिल्ली/New Delhi-110016

दूरभाष/Tele: 26858570

वेब/Website: www.kvsangathan.nic.in

फ.क्र.11046/वार्षिक स्थानांतरण 2019/केविसं(मु)/स्था.॥

दिनांक: 31.08.2019

वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया 2019 का समापन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के समस्त शिक्षकों एवं कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया 2019 का समापन दिनांक 31.08.2019 को हो गया है। इसके पश्चात स्थानांतरण, स्थानांतरण संशोधन व निरस्तीकरण इत्यादि के संबंध में संगठन द्वारा कोई प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिक्षकों एवं कार्मिकों द्वारा प्रेषित समस्त प्रतिवेदन जिसमे पृथ्थक रूप से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है निस्तारित माने जाएंगे।

समस्त नियंत्रणाधिकारियों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि स्थानांतरित शिक्षकों एवं कार्मिकों की कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण दिनांक 05.09.2019 तक अथवा जहां कहीं विशेष रूप से तिथि का उल्लेख किया हो तक अनिवार्य रूप से स्निश्चित करें।

यह सूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।

(एस.एस. चौहान)

सहायक आयुक्त (स्थापना 2/3)